




प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021

69-क पट्टे के तहत साक्ष्य दस्तावेज :-

1. स्वयं के /परिवार के रहवास के दिनांक 31.12.2018 के पूर्व के बिजली /पानी के बिल ।
2. दिनांक 31.12.2018 से पूर्व की वोटरलिस्ट में आवेदक का नाम एवं मौहल्ला /कॉलोनी ।
3. दिनांक 31.12.2018 का पूर्व का निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज कोई प्रविष्टि जैसे गृह कर /यूडी टैक्स आदि की रसीद ।
4. आवेदित भूखण्ड के आस-पडौस /मौहल्ला /कॉलोनी के दो व्यस्क व्यक्तियों के शपथ-पत्र मय उनकी फोटो जिसमें 31.12.2018 से पूर्व आवेदक के रहवास का उल्लेख हों ।
5. सजरा /वारिसान प्रमाणित पार्षद /तहसीलदार से हों ।
6. फॉर्म और सहमति पत्र स्टाम्प पर नोटेरी होनी चाहिए ।

नगरपालिका मण्डल, कामां

धारा 69-ए के पट्टे हेतु आवेदन पत्र
निकाय का नाम- नगरपालिका कामां



क्र.स.	बिन्दु	विवरण
1.	आवेदक का नाम पिता का नाम निवास पता	
2.	<ul style="list-style-type: none">● सम्पति का स्थान● क्षेत्रफल (व.मी.)● मौके पर क्या निर्माण है एवं क्या उपयोग हो रहा है।	
3.	मौके का स्थल मानचित्र	
4.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत Proof of Right दस्तावेज का विवरण:- 1. सम्पति के दस्तावेज का विवरण मय क्षेत्रफल (व.मी.में) 2. दस्तावेज किस व्यक्ति के नाम के है। (यदि आवेदक से भिन्न व्यक्ति के नाम से है, तो यह स्पष्ट किया जावे कि उक्त व्यक्ति का आवेदक से क्या संबंध है तथा सम्पति उसे कैसे प्राप्त हुई। इससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जावें।)	
5.	लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो) यदि न्यायालय का कोई स्थगत आदेश है तो विवरण देवें।	
6.	आवेदन की तारीख	

आवेदक के हस्ताक्षर नाम-.....

पता-.....

मोबाईल नं.-.....

संलग्न-

घोषणा

1. मै/हम,इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते है कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन सत्य और सही है और आवेदक नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि के उपयोग करने के बारे में मेरे/हमारे अधिकारों को निर्वादित करने का इच्छुक हूं/इच्छुक है। अतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा मंजूर करें।
3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए अनुज्ञा चाही गयी है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम-.....

पता-.....

मोबाईल नं.-.....

प्ररूप-2
(नियम-4(1) देखिए)
शपथ-पत्र

मैं/हम

1. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....

2. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....

इसके द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं और निम्नलिखित रूप से घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. कि मैं/हम नीचे वर्णित भूमि का/के धारक हूँ/हैं और ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख जारी करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क और तदधीन बनाएँ गये नियमों के अधीन अभ्यर्पण की अनुज्ञा मंजूर करने के लिए आवेदित भूमि के बारे में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है।

क्र0स0	भूमि के सम्पूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कॉलोनी/गली और पडोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

2. कि मैं/हम आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए और सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने का/के इच्छुक हूँ/हैं।
3. कि मैं/हम नगरपालिका को लागू विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्यों और रकम का संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं पाबंद रहूँगा/रहेगे।
4. कि राज्य सरकार और नगरपालिका द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
5. कि आवेदित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जावेगी। जिसके लिए यह मंजूर की गयी अनुज्ञा के अनुसार नगरपालिका पक्ष के अधिकारों के अभ्यर्पण से पूर्व धारित की गयी थी और नगरपालिका के विहित मानको और अनुमोदित योजना के अनुसार विकसित की जायेगी। उक्त भूमि विद्यमान विधि के अधीन नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं रखी जावेगी।
6. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
7. कि मैं/हम नगरपालिका के संबंध में लागू सुसंगत भवन उप विधियों, विनियमों, नियमों के उपबन्धों का इसके द्वारा स्वयं पालन करूँगा/करेगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं/हम उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करे।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान किया गया।

प्ररूप-3
(नियम-4(1) देखिए)
शपथ-पत्र

मैं/हम

1. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....

2. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....

इसके द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं और निम्नलिखित रूप से घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

(1) कि मैं/हम,इसके नीचे वर्णित भूमि,जिसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 की धारा 69-क के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है,का/के धारक हूँ/हैं।

क्र०स०	भूमि के सम्पूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कॉलोनी/गली और पडोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)


(2) कि मैं/हम,मामलें मे नगरपालिका द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि,यदि कोई हो के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबन्द करता हूँ/हैं।

(3) कि मैं/हम मंजूर की गयी अनुज्ञा या विक्रय विलेख के निष्पादन या अन्यथा के या आवेदक द्वारा कारित किसी कृत्या या लोप के कारण मामले मे उद्भूत किसी विवाद के कारण कारित हानि,यदि कोई हो,के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबन्द करता हूँ/हैं।

(4) कि नगरपालिका को आवेदक की ओर से किसी शर्त,नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की अनुज्ञा को प्रत्याह्त करने और पट्टा विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

गवाह का शपथ-पत्र



मैं.....पुत्र/पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जाति.....
आयु.....निवासी.....वार्ड नं.....
कामां, जिला भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला हूँ।

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि 69-क के तहत पट्टे के आवेदक श्री.....
पुत्र/पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जातिआयु.....
निवासी
वार्ड नं कामां, जिला भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला है। जिसको मैं निजी रूप
से सन्..... से जानता हूँ तथा उनके द्वारा आवेदन के साथ दिये गये सम्पूर्ण ब्यौरा सही
है।
2. आवेदक/आवेदक के परिवार/आवेदक ने जिससे यह भूखण्ड क्रय किया है उस विक्रेता का
कब्जा/रहवास सन 2018 से पूर्व का है।
3. यह भूखण्ड केन्द्रीय पुरातत्व संपत्ति चौरासी खम्भा से 100 मीटर की दूरी से बाहर स्थित है।
4. यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है तो उक्त पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं मेरे
खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन


उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1,2,3 व 4 को अपने स्वयं के निजी ज्ञान और विश्वास के आधार
पर सही और सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

गवाह का शपथ-पत्र



मैं.....पुत्र/पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जाति.....
आयु.....निवासी.....वार्ड नं.....
कामां, जिला भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला हूँ।

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि 69-क के तहत पट्टे के आवेदक श्री.....
पुत्र/पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जातिआयु.....
निवासी
वार्ड नं कामां, जिला भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला है। जिसको मैं निजी रूप
से सन्..... से जानता हूँ तथा उनके द्वारा आवेदन के साथ दिये गये सम्पूर्ण ब्यौरा सही
है।
2. आवेदक/आवेदक के परिवार/आवेदक ने जिससे यह भूखण्ड क्रय किया है उस विक्रेता का
कब्जा/रहवास सन 2018 से पूर्व का है।
3. यह भूखण्ड केन्द्रीय पुरातत्व संपत्ति चौरासी खम्भा से 100 मीटर की दूरी से बाहर स्थित है।
4. यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है तो उक्त पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं मेरे
खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1,2,3 व 4 को अपने स्वयं के निजी ज्ञान और विश्वास के आधार
पर सही और सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सहमति शपथ-पत्र

मैं/हम

1. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 2. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 3. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 4. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 5. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 6. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 7. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 8. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 9. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
 10. श्री.....पुत्र श्रीआयु.....
- निवासी.....तहसील.....जिला.....

1. कि मैं/हम आवेदन में वर्णित आवेदक के नाम 69-क के तहत पट्टा नक्शा मुताबिक क्षेत्रफल.....जारी करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।
2. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि इनके अलावा उक्त भूमि पर कोई काबिज नहीं है ना कोई हिस्सेदार है।
3. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि उक्त भूमि पर पारिवारिक /न्यायालय / मंदिरमाफी /कुण्ड आदि का विवाद नहीं है।
4. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि उक्त भूमि पर किसी वाद/विवाद की स्थिति में पट्टा स्वतः ही निरस्त समझेगे/समझा जावेगा।
5. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाते हैं तो स्वयं जिम्मेवार होंगे।नियमानुसार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नगरपालिका कामां को होगा।
6. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की कॉट-छॉट नहीं की गई है। अगर कोई कोई कॉट-छॉट पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं श्री.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 6 तक स्वयं के निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही व सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान कामां

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ-पत्र

नाम शपथग्रहिता :
पता :
मोबाईल नं :
पत्रावली क्रमांक :
प्रयोजन :

1. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदित भूखण्ड/मकान पर कोई पारिवारिक विवाद नहीं है।
2. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदित भूखण्ड/मकान पर कोई न्यायालय विवाद ना ही तो रहा था और ना ही है।
3. मेरे/हमारे द्वारा/परिवार द्वारा/अन्य व्यक्ति द्वारा/विक्रेता द्वारा इस भूखण्ड का कोई पट्टा पूर्व में नहीं लिया गया है ना ही अन्य कोई दस्तावेज मेरे/हमारे द्वारा छिपाया गया है।
4. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये बिजली के बिल, पानी के बिल, वोटरलिस्ट एवं अन्य दस्तावेज आवेदित भूखण्ड/मकान से ही संबंधित है।
5. उक्त भूखण्ड का पट्टा लेने के सन्दर्भ में मेरे/हमारे परिवार के समस्त सदस्यों की सहमति है। भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जिम्मेदार मैं/हम रहूंगां/रहेगें।
6. उक्त भूखण्ड/मकान मंदिर माफी/कुण्ड/खाई/अन्य प्रतिबंधित श्रेणी से संबंधित नहीं है।
7. मैं/हम शपथ बयान करते हैं कि किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाते हैं तो मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियमानुसार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार तथा मेरा पट्टा/दस्तावेज खारिज करने का अधिकार नगरपालिका कामां को होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता